राजस्थान विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व

*डॉ. हीरालाल मीणा

सार

राजस्थान राज्य का जन्म 19 रियासतों एवं तीन ठिकानों के एकीकरण के परिणाम स्वरूप हुआ राजस्थान राज्य के लिए लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था बिल्कुल नई प्रकार की शासन व्यवस्था थी 1952 में जब प्रथम विधानसभा चुनाव हुआ उस समय राज्य विधानसभा में मात्र 2 महिलाएं निर्वाचित हुई समय एवं परिस्थितियों के साथ महिलाओं ने संघर्ष करते हुए अपना स्थान बनाया है और वर्तमान में वे 15 वी विधानसभा में 25 की संख्या को प्राप्त हो सकी है।

परिचय

अपनी गौरवशाली परंपरा एवं समृद्धि इतिहास को समेटे राजस्थान आज भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान राज्य का निर्माण 7 चरणों में संपन्न हुआ इस एकीकरण की प्रक्रिया में 19 देशी रियासतों तथा तीन ठिकानों और एक चीज कमिश्नर प्रांत का एकीकरण हुआ। एकीकरण की प्रक्रिया में अलवर भरतपुर धौलपुर करौली बांसवाड़ा बूंदी डूंगरपुर झालावाड़ कोटा प्रतापगढ़ टोंक किशनगढ़ शाहपुरा उदयपुर जयपुर जोधपुर बीकानेर जैसलमेर सिरोहीकी रियासतें तथा नीमराणा लावा कुशलगढ़ के ठिकाने और अजमेर मेरवाड़ा का चीफ कमिश्नर द्वारा शासित प्रदेश शामिल हुई।

एकीकरण कीजिए संपूर्ण प्रक्रिया 1 नवंबर 1956 को जाकर संपन्न हुई।

एकीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जिस राजस्थान राज्य का निर्माण हुआ उसे वर्ष 1952 में होने वाले प्रथम विधानसभा चुनावों के लिए 160 विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। प्रथम विधानसभा चुनावों के समय राजस्थान राज्य में महिलाओं की स्थिति शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से अत्यंत पिछड़ी हुई थी 1951 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर मात्र 2.66% थी। ऐसी अल्प साक्षरता की स्थिति में महिलाओं की राजनीतिक प्रतिनिधित्व के संबंध में अधिक अपेक्षा करना उचित नहीं था। महिलाओं की यह अल्प साक्षरता की स्थिति वर्तमान तक बनी हुई है जिसे हम निम्न सारणी से समझ सकते हैं

राजस्थान में महिला साक्षरता दर

1951	2.6 6%
1961	7.01%
1971	10.06%
1981	14%
1991	20. 4 4%
2001	43.85%
2011	52.1%

महिला साक्षरता दर की उपरोक्त सारणी वह आईना प्रस्तुत करती है जो महिलाओं के पिछड़ेपन, महिलाओं के प्रतिनिधित्व एवं महिलाओं के प्रति अत्याचार, उपेक्षा का प्रमुख कारण रहा है।

राजस्थान राज्य रियासती युग की उस मानसिकता में अपना प्रारंभ करता है जहां महिलाओं को परदे के पीछे घर की चारदीवारी तक सीमित रखने की परंपरा संपूर्ण मध्य काल से चली आ रही थी 1000 वर्षों की लंबी परंपरा को अचानक बदल देना संभव नहीं था परंतु फिर भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं एवं संविधान के द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रवर्तन की प्रक्रिया ने महिलाओं को विधानसभा तक पहुंचाने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी का परिणाम है कि आज महिलाएं सशक्त एवं आत्मनिर्भर होकर अपने अधिकारों के प्रति मुखर हुई हैं।

अध्ययन का महत्व

एक ऐसे समाज में जो क्रांतिकारी रूप से अचानक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में परिवर्तित हो गया वह वहां महिलाओं की मानसिक स्थिति का अध्ययन करना अत्यंत अपरिहार्य हो जाता है। प्रस्तुत शोध पत्र महिलाओं की सामाजिक मानसिक शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करते हुए उनकी राजस्थान विधानसभा में प्रतिनिधित्व का विश्लेषण करने का प्रयास कर रहा है।

प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से राजस्थान राज्य में महिलाओं की स्थिति के प्रतिसोच विकसित करने का प्रयास किया गया है जिसके माध्यम से वे राजनीतिक क्रियाओं में सहभागिता बढ़ा सकें।

वर्तमान समय में महिलाएं विशेषकर शहरी क्षेत्र की महिलाएं अपनी जिम्मेदारियों अधिकारों एवं कर्तव्यों के बोध से परिचित हो अपनी प्रतिनिधित्व के लिए जहां संघर्ष कर रही हैं वहीं ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं भी

पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से अपनी राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं प्रस्तुत शोध पत्र महिलाओं के इसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व और विशिष्ट है विधानसभाओं में इनके प्रतिनिधित्व का विश्लेषण एवं विवेचन करने का प्रयास कर रहा है और ऐसी अपेक्षा और उम्मीद है कि प्रस्तुत शोध पत्र के निष्कर्षों के माध्यम से महिलाओं में राजनीतिक सहभागिता के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और अधिकाधिक प्रतिनिधित्व के लिए प्रयास करने लगेगी।

अध्ययन का उद्देश्य

अध्ययन का प्राथमिक उद्देश्य राजस्थान राज्य में विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व का विश्लेषण करना है। शोध पत्र साथ ही कुछ उप उद्देश्यों को लेकर भी अपना कार्य करता है जिसमें प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है।

1. राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के लिए इच्छा शक्ति जागृत करना
2. महिलाओं को समाज सेवा के कार्यों को करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करना।
3. शिक्षा के अधिकार के द्वारा महिलाओं को अनिवार्य रूप से शिक्षित करना और शिक्षा के महत्व से परिचित कराना।
4. आर्थिक रुप से कमजोर महिलाओं को सशक्त करने के लिए प्रेरणा एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।

शोध का रीति विधान

अध्ययन के लिए आवश्यक समस्त सामग्री द्वितीयक स्रोतों के साथ.साथ प्राथमिक स्रोतों से भी जुटाई गई है। प्राथमिक स्रोतों में मुख्यतः विधानसभा सदस्यों राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न व्यक्तियों से अनुसूची एवं प्रश्नावली या भरवा कर सूचनाएं एकत्रित करने का प्रयास किया गया है। वित्तीय स्रोतों के अंतर्गत मुख्यतः राजस्थान विधानसभा के विभिन्न दस्तावेजों की सहायता ली गई है।

सम अंकों के विश्लेषण के लिए किसी विशिष्ट सांख्यिकी यह पद्धति का सहारा ना लेकर अत्यंत सर लिखित रूप से सम अंकों के समूह एवं वर्गीकरण जैसे कार्यों के माध्यम से निष्कर्ष निकाले गए हैं।

प्राप्तियां

शोध पत्र के विश्लेषण एवं अध्ययन के उपरांत निष्कर्ष आत्मक रूप में हम यह देखते हैं कि राजस्थान राज्य में सरकार के मंत्रिमंडल में प्रथम महिला मंत्री की प्राप्ति प्रथम लोकसभा के समय ही हो गई थी परंतु मैं तो विधानसभा और न ही मंत्रिमंडल में इनको अपना उचित स्थान कभी प्राप्त हुआ।

राजस्थान राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री वर्ष 2003 में वसुंधरा राजे सिंधिया के रूप में हमें प्राप्त होती है

अतः हम स्पष्ट तो है यह देख पाते हैं कि प्रथम चुनाव के 51 वर्षों के उपरांत राज्य को कोई महिला मुख्यमंत्री प्राप्त हो पाई।

राजस्थान राज्य की विशिष्ट सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं के कारण राजस्थान विधानसभा में इनका प्रतिनिधित्व सदस्य ही अत्यंत कम रहा है प्रथम विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व मात्र 1.25% था जो यद्यपि निरंतर बड़ा है परंतु उसमें कोई विशिष्ट उल्लेखनीय उपलब्धि हमें दिखाई नहीं देती राजस्थान राज्य में सर्वाधिक महिला प्रतिनिधित्व तेरहवीं विधानसभा में प्राप्त हुआ जब इसके 200 विधानसभा सदस्यों में से 29 सदस्य महिलाओं के रूप में शामिल थी। इस विधानसभा में महिलाओं का प्रतिशत अब तक का सर्वाधिक 14.5% प्रतिशत रहा।

राजस्थान राज्य में महिलाओं की कुल जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 46.4% है इस प्रकार यह है 3299 7440 की विशाल जनसंख्या को अपने में समेटे हुए हैं। इतनी विशाल जनसंख्या होते हुए भी राजस्थान राज्य की विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कोई विशिष्ट उल्लेखनीय स्तर तक नहीं पहुंच पाया है वर्तमान विधानसभा में भी महिला प्रतिनिधित्व मात्र 12.5% ही है।

निम्न सारणी के माध्यम से हम राजस्थान की समस्त 15 विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को समझने का प्रयास कर सकते हैं।

राजस्थान विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व

विधानसभा	महिला विधायक	प्रतिनिधित्व का प्रतिशत
1	2.	1.25
2	9.	5.11
3	8.	4.55
4	6.	3.26
5	13	7.07
6	8	4
7	10	5
8	17	7.5
9.	11	5.5
10	9	4.5
11	15	6
12	13	6.05
13	29	14.5
14	25	12.5
15	25	12.5

उपरोक्त सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि राजस्थान राज्य की विधानसभा में अपनी जनसंख्या के अनुपात में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अत्यंत निम्न रहा है । इसका प्रत्यक्ष प्रभाव महिलाओं की सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक सशक्त था पर पड़ा है इसी का परिणाम है कि आज राजस्थान राज्य में महिलाएं राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से इतनी सशक्त नहीं हो पाई है।

सुझाव

राज्य की सर्वोच्च प्रतिनिधित्व संस्था विधानसभा तक महिलाओं को पहुंचाने के लिए हमें पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की सहभागिता को सशक्त करना होगा इसके लिए हमें उन सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक प्रतिबंधों को दूर करना होगा जिनके द्वारा महिलाएं खुलकर राजनीतिक मंचों पर अपना प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रही है महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए हमें निम्न उपाय अपनाने चाहिए।

1. महिलाओं की शिक्षा को सार्वजनिक रूप से अनिवार्य एवं निशुल्क कर दिया जाना चाहिए। तथा ऐसे माता पिता जो अल्प आय वर्ग के हैं उनको विशिष्ट वित्तीय सहयोग देकर महिलाओं को शिक्षित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
2. महिलाओं को आगे बढ़ने में सबसे बड़ी बाधा परिवार की ओर से आती है अतः परिवार एवं समाज की तरफ से उन्हें पूर्ण सहयोग एवं प्रेरणा प्राप्त होनी चाहिए।
3. महिलाओं को राजनीति एवं समाज में शोषण से मुक्ति के लिए सुरक्षा एवं संरक्षण के संबंध में कठोर प्रावधान किए जाने चाहिए।
4. ग्राम पंचायतों एवं नगरपालिका के चुनावों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए सर्वसम्मति से विचार किया जाना चाहिए।
5. आर्थिक स्तर में सुधार के लिए महिलाओं को गैर सरकारी संगठनों एवं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सहयोग उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।
6. राजनीति में महिलाओं को सम्मानजनक स्तर प्रदान करने के लिए उन्हें राजनीतिक दलों के संगठनात्मक स्वरूप में सर्वप्रथम उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

शोध पत्र में किए गए विश्लेषणात्मक अध्ययन के द्वारा यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि राजस्थान राज्य में

महिलाओं का प्रतिनिधित्व विशिष्ट है विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अपेक्षित स्तर से बहुत निम्न स्तर पर है इसमें त्वरित रूप से सुधार किए जाने की आवश्यकता है। आज महिलाएं अपने सामाजिक एवं पारिवारिक रूढ़िवादी विचारों के कारण सामाजिक दायरों एवं पारिवारिक दायरों से परे राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी नहीं निभा पा रही है अतः हमें सामाजिक स्तर पर सुधारात्मक प्रयास करने होंगे।

महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध भी इनके कम प्रतिनिधित्व का एक कारण बनते हैं आज महिलाएं परिवार से बाहर अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं और यही कारण है कि वे राजनीतिक मंचों पर अपना अपेक्षित प्रतिनिधित्व नहीं दे पाती।

73 वी एवं 74 वे संविधान संशोधन के द्वारा आधार स्तर पर महिलाओं की राजनीतिक प्रतिनिधित्व में स्थान सुनिश्चित करने से महिलाएं अब अधिक सक्रिय रूप से राज्य राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित करने लगी है अतः हमें इन पंचायती राज एवं स्थानीय स्वशासन की इकाइयों को और अधिक महिला अभी मुखी बनाना होगा जिससे महिलाएं लोकतंत्र की आधार संस्थाओं में प्रशिक्षित होकर राज्य विधानसभाओं तक पहुंचने का प्रयास कर सकें।

*व्याख्याता
राजकीय महाविद्यालय
करौली (राज.)

संदर्भ ग्रंथ

1. सुमन कृष्णकांत 21वीं सदी की ओर राजकमल प्रकाशन
2. व्यास जयप्रकाश नारी शोषण ज्ञानदा प्रकाशन
3. भारत में नारी शिक्षा जैसी अग्रवाल प्रभात प्रकाशन
4. भारतीय शासन एवं राजनीति बी एल फडीया साहित्य भवन
5. राजस्थान विधानसभा द्वारा प्रकाशित प्रत्येक विधानसभा के विधायक परिचय दस्तावेज
6. राजस्थान पत्रिका
7. दैनिक भास्कर
8. भारत में लैंगिक समानता राजनीतिक सामाजिक आयाम डॉक्टर